

# उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

## U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking) शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ e-mail id:< dgmir.uppcl@zmail.com>

संख्या- 2053 -औ०सं० / 2012-11(4)एफ० / 86 (वाल्यूम-।।)

दिनांक 10 जुलाई, 2012

## कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0—2088—एन0जी0—11/एस0ई0बी0(4)—29—एन0जी0—11 78 दिनांक 24.05.1998 द्वारा परिषदीय कार्मिकों व उनके आश्रितों को चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराने में हुये व्यय की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य की गयी एवं प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्यता प्रमाण—पत्र का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा कैशलेस चिकित्सा एवं वाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुरूपता में चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराने में हुये व्यय की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्यता प्रमाण—पत्र पर रोगी का नवीनतम् फोटो (चित्र) सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा, बिना फोटो प्रमाणित कराये गये प्रकरण में किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पूर्व में प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावो का निस्तारण पूर्वादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

संशोधित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

#### अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

## संख्या - 2053 - (1) - औ०सं० / 2012 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2 निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- उ प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल,लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 4 अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 5 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6 मुख्य अभियन्ता जाँच समिति–प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- त्रमस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / (पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।



#### FORM OF ESSENTALLITY CERTIFICATE

### **U.P Power Corporation Limited**

(To be completed in case of patient admitted to Hospital for treatment)

	Name of Patient : Name and designation		Paste Photo		
	Of Employee on whom dependent:		of Patient		
3.	Relationship of Patient				
4.	with employee : Pay scale of the employee :				
5.	Office of posting :		noto of the Patient by Authorised Doctor		
l, Dr	hei	reby cer	tify that :-		
(disea of Pla Dr	The above patient was admitted for treatment ase) at(Hospital)	n my ac	vice/on the a	(Name dvice of	
nospi deteri These	The under mentioned medicines prescribed italization and there after (up to a maximum of 15 ital) were essential for the treatment/ recovery ioration in the condition of the patient, vouchers e medicines/ injections do not include prescription and of toiletry disinfectant and prophylectic.	5 days) y/ preve for whic ns whic	after release fention of the ch have been hare of food/	rom the serious verified. nutritive	
SI. No	•				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			Total C	ost Rs.	



The same are at the schedules rates of the Go	and were undertaken on my advice.
5. The services of special nurse were esserious deterioration in the condition of	the patient, for the period from(date). on which an
6. The operation and/or other Rshave been incurred on the	hospital charges totalling
7. The services of Dressential for specialized consultation, on which has been incurred.	
Signature of employee	Signature of Authorised Medical Attendant with Seal

